



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)

कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर

email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांक: एफ 61(350)SSAAT/लोकपाल चयन/2024-25 पार्ट-6/3831-

जयपुर, दिनांक 8/12/25

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देश दिनांक 20.03.2023 के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना में योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल नियुक्ति का प्रावधान है।

उक्त प्रावधानों के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिले के लिए लोकपाल नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	लोकपाल का नाम व पता	जन्म तिथि
1	जोधपुर	श्रीमती रेखा वैष्णव पत्नि श्री विरदी चन्द वैष्णव, रामेश्वर नगर, 109- अरबीक पाठशाला के पास जोधपुर।	02.12.1970
2	बून्दी	श्री दीपक कुमार मीणा पुत्र श्री रामलक्ष्मण मीणा, मकान नम्बर बी-25, नवजीवन संघ कॉलोनी, नैनवा रोड बून्दी।	20.11.1996
3	कोटा	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री हीरालाल शर्मा 2, डी-1, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा।	12.04.1961
4	जालोर	श्री नैन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह स्कूल के सामने शंखवाली, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।	03.06.1975
5	श्रीगंगानगर	श्री शिवनारायण पुत्र श्री मदनलाल, ग्राम जोगीवाला पो. पन्नीवाली जाटान तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।	24.10.1988
6	चित्तौड़गढ़	श्री अभिषेक सोनी, पुत्र स्व. श्री महेश कुमार सोनी 72 नाकोड़ा नगर, बड़ी सादडी जिला चित्तौड़गढ़।	08.10.1991
7	दौसा	श्री शम्भू दयाल मीणा पुत्र स्व. श्री भौरी लाल मीणा, अशोक नगर, सेक्टर-3 पीजी, कॉलेज के सामने, दौसा।	25.07.1963
8	सवाई माधोपुर	श्रीमती आशा शर्मा पत्नि श्री देवेन्द्र शर्मा, अरिहन्त कालोनी, मण्डी रोड, सवाई माधोपुर	18.07.1980

उक्त चयनित व्यक्तियों का कार्यकाल, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी नरेगा डिविजन द्वारा लोकपाल और अपीलेट अथोरिटी हेतु जारी संशोधित दिशा निर्देश F.No 11015/112022-RE-III(380157) दिनांक 20/03/2023 के अध्याधीन होगा।

नियुक्ति अधिकतम दो वर्ष (प्रथम वर्ष पश्चात विभागीय मूल्यांकन के आधार पर) या चयनित लोकपाल 68 (अडसठ) वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो। नियुक्त लोकपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 20/03/2023 के बिन्दु संख्या 2.2.12 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

चयनित व्यक्तियों को अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में संबंधित जिले के जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को देकर अपनी कार्य ग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायें।

चयनित व्यक्तियों से आशा की जाती है कि अपना कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल दिशा निर्देश F.No 11015/112022-RE-III(380157) दिनांक 20/03/2023 के अध्याय 3 के अनुरूप निभायेंगे।

(श्रेया गुहा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान

क्रमांक: एफ 61(350)SSAAT/लोकपाल चयन/2024-25 पार्ट-6/ 3831-
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 3852

जयपुर, दिनांक

8/12/25

1. अति.मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
3. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव राजस्थान।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेगा)ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
5. वरिष्ठ उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त EGS, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT) जयपुर।
11. संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि वे संबंधित लोकपाल को कार्यग्रहण करवाते हुए उन्हें भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन्स के तहत प्रशासनिक एवं तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने का श्रम करें।
12. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बंधित जिला परिषद।
13. श्रीमती रेखा वैष्णव पत्नि श्री विरदी चन्द वैष्णव, रामेश्वर नगर, 109-अरबीक पाठशाला के पास जोधपुर।
14. श्री दीपक कुमार मीणा पुत्र श्री रामलक्ष्मण मीणा, मकान नम्बर बी-25, नवजीवन संघ कॉलोनी, नैनवा रोड बून्दी।
15. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री हीरालाल शर्मा, 2, डी-1, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा।
16. श्री नैन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, स्कूल के सामने शंखवाली, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर।
17. श्री शिवनारायण पुत्र श्री मदनलाल, ग्राम जोगीवाला पो. पन्नीवाली जाटान तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
18. श्री अभिषेक सोनी, पुत्र स्व. श्री महेश कुमार सोनी, 72 नाकोड़ा नगर, बडी सादडी जिला चित्तौड़गढ़।
19. श्री शम्भू दयाल मीणा पुत्र स्व. श्री भौरी लाल मीणा, अशोक नगर, सेक्टर-3 पीजी, कॉलेज के सामने, दौसा।
20. श्रीमती आशा शर्मा पत्नि श्री देवेन्द्र शर्मा, अरिहन्त कालोनी, मण्डी रोड, सवाई माधोपुर
21. प्रोग्रामर (SSAAT) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
22. रक्षित पत्रावली।

485
(सांवर मूल वसा)
निदेशक (SSAAT)